

Order No:- 323L/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 21.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Praveen Kumar Nishad के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 457 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	हरि ओम कुमार	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
2	इसिका	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
3	शिवम निषाद	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
4	आलोक तिवारी	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
5	अल्पिता तिवारी	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
6	युवराज अग्रवाल	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
7	शुभम	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
8	नक्ष	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONTIGUOUS CONSTITUENCY AND STATE OF THE HON'BLE MP		
9	केशवेन्दर कुमार सिंह	पंकज सिंह, मो- 7355524556, 8009080762	2	न. 2 एएफएस गोरखपुर
10	प्रांजल सिंह	पंकज सिंह, मो- 7355524556, 8009080762	7	न. 2 एएफएस गोरखपुर

पिया ठाकुर²

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पि. व. ठाकुर
21/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Praveen Kumar Nishad माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, VARANASI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

पु. व. ठाकुर